न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—108 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 108)

1. पांचू पुत्र भूरा, जाति कुमावत, निवासी समेलिया, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अमरा पुत्र मोडू
2. छोटू पुत्र मोडू
3. लक्ष्मण पुत्र मोडू
4. आशाराम पुत्र धन्ना
5. काशीराम पुत्र उगमा
6. खेमराज पुत्र काशीराम
7. गोगाराम पुत्र पन्ना
8. गोपाल पुत्र मूला
9. तीजा देवी पत्नि पन्ना
10. देव पत्नि छीतर
11. नारायण पुत्र मूला
12. बालू पत्नि उगमा
13. बालूराम पुत्र धन्ना
14. मनवाराम पुत्र पन्ना
15. मांगीलाल पुत्र पन्ना
16. रामलाल पुत्र उगमा
17. श्योजी पुत्र हरिया
18. सीताराम पुत्र छीतर
19. सियाराम पुत्र छीतर
20. हरजी पुत्र छीतर
21. हंसराज पुत्र पन्ना
22. मुकेश पुत्र पांचू
23. हरजी पुत्र भूरा

    समस्त जाति कुमावत निवासी समेलिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
24. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2024 राजस्व वाद संख्या 2021 / 00158

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शंकरलाल जाट अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 24
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 23 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021 / 00158 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/00158 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 से 23 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृत कराया जाकर स्वयं के लाभ हेतु निर्णय की पालना करायी जा रही है, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। आक्षेपित निर्णय बिना प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए गए है, के आधार पर बिना प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की आपत्ति का अवसर दिए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के हक एवं अधिकारों के रक्षार्थ अपील न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय की आड में अपीलांट को नोटिस जारी कर बेदखल किए जाने व नजरी नक्शा तैयार किए जाने बाबत दिनांक 5.1.2023 को जारी किए जाने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा–251–ए में वर्णित प्रावधान जो कि आज्ञात्मक प्रावधित है, के विपरीत बिना विधिवत रूप से जांच किये बिना रिपोर्ट मंगाये समीपस्थ काबिज अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आक्षेपितः आदेश पारित किये गये है जो कि प्रथम दृष्टया ही शून्य आदेश होने से उक्त आदेश के विरूद्ध विधि द्वारा मियाद निर्धारित नहीं है एवं ऐसे आदेश को किसी भी स्तर पर न्यायालय की जानकारी होने पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा

प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम समेलिया, तहसील सरवाड के खसरा नम्बर 387 रकबा 0.14 हेक्टर भूमि स्थित है। आराजी खसरा संख्या 386 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजीयात है, खसरा संख्या 386 के पास उत्तर पश्चिमी ओर राजस्व नक्शे अनुसार सिवायचक खसरा संख्या 343 है, खसरा संख्या 343 के लगवा उत्तर पश्चिम ओर खसरा संख्या 342 समेलिया से सरवाड पक्का रोड स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण की आराजी 387 में आवागमन हेतु रास्ता व खसरा संख्या 342 समेलिया से सरवाड पक्की रोड से सरकारी भूमि 343 से होता हुआ, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की आराजीयात खसरा संख्या 386 की पश्चिमी व दक्षिणी मेड से होकर है, जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 व 24 से बन्द कर दिया गया अतः आवागमन के रास्ते को तरमीम कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्राथीगण को सुपुर्द किया जावे। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को नोटिस जारी किए गए व तहसीलदार सरवाड से रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 द्वारा अपने अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के उपरान्त अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 24.2.2022 को एकतरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.6.2024 से प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 386 से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य

है। मौका रिपोर्ट दिनांक 5.1.2023 से स्पष्ट होता है कि चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 343 व 394 में होकर उपयोग में लिया जाता रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 21 को पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन दिनांक 6.2.2024 को प्रस्तुत किया गया व उक्त रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जहां खसरा संख्या 394 से नजदीकी रास्ता मौके पर उपलब्ध कराया जा सकता है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजीयात में रास्ता अंकन किए जाने बाबत बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए रास्ता प्रदान किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 5.1. 2023 में खसरा संख्या 394 की मेड से रास्ता होना अंकन किया है, अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजीयात से रास्ता स्वीकृति हेतु आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर बिना प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा रेस्पोडेन्ट/ अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.2.2022 को एकक्षीय बहस सुनी जाकर तहसीलदार सरवाड को मौका जांच रिपोर्ट राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त अनुपालना में तहसीलदार सरवाड द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को प्रकरण में रास्ते के उपयोग में आने वाले खसरा व भूमि गणना हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.1.2023 को बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए, सबसे निकटतम रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्शित ही काम आ रहा है, अंकन करते हुए रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की गई है एवं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट को दिनांक 9.6.2023 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड को प्रेषित की गई। जिसे यथावत स्वीकारते हुए दिनांक 13.6. 2024 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाये जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा–251–ए में प्रावधित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 386 की मेड में से होकर 343 के मेड के मध्य वाके ग्राम समेलिया, उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। अतः उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिये दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा–251–ए की मंशा के विपरीत वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद भी तथा अन्य रास्ता उत्तर की ओर स्थित है व अन्य रास्ते से आवागमन हेतु रहा है, का अंकन नहीं किया जाकर प्रेषित

रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रथमतः राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग स्थित है, उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित होते हुए भी आक्षेपित निर्णय में मौका रिपोर्ट में दीगर कोई रास्ता दर्शित नहीं किया है, वर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय से खसरा संख्या 386 व 343 की मेड में से होकर आवागमन करना अंकन करते हुए सभी खसरा नम्बरों की मध्य मेड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित रास्ते की चौडाई प्रत्येक खेत में से रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। आज्ञात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग के उपरान्त भी अपीलांट की आराजीयात में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने बाबत निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के उपरान्त विशेष रूप से निर्देशित करते हुए रास्ते को इंगित करते हुए प्रार्थी के खेतों को अलग अलग दर्शाया जाकर प्रमाणित कर आदेश दिए गए है। उक्त अनुपालना में मौके की रिपोर्ट तलब कराये जाने के आदेश पारित किये है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 24 द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का को उक्त संदर्भ में मनोनीत कर मौके की रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान जो कि आज्ञात्मक है, के अनुसार पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नहीं जा सकेगा, ना ही उक्त आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मनोनीत तहसीलदार रेस्पोडेन्ट सं० 24 द्वारा अन्य को उक्त निमित मनोनीत करते हुये एकपक्षीय आदेश की पालना किए बिना रिपोर्ट प्रेषित की गई है, दिनांक 6.10.2023 पूर्व में प्राप्त होना वर्णित करते हुये प्रकरण को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर आक्षेपित निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा एकपक्षीय प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 5.1.2023 में उक्त संदर्भ में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मौके पर वैकल्पिक मार्ग स्थित है अथवा नहीं। प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है या नहीं अथवा पक्षकारान को नोटिस दिए बिना वैकल्पिक मार्ग के होते हुए अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के दिए गए निर्देश के विपरीत एकमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार कर आदेश पारित किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है, का कि निरस्तनीय है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जो वो ठीक समझे करने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है, और (2) अन्य

खातेदार की जोत से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है, तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत जहां मौके पर पूर्व से ही अन्य रास्ता स्थित है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3/अप्रार्थीगण आवागमन करते है, उक्त वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है। वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे आक्षेपित आदेश से स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/00158 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम समेलिया पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील सरवाड़ के ख.नं. 387 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी के लगवा उत्तरी ओर अप्राथी सं. 1 से 3 का खेत ख.न. 386 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है। आराजी ख.न. 386 के पास ही उत्तरी–पश्चिमी ओर राजस्व नक्शा अनुसार सरकारी ख.न. 343 है तथा ख.न. 343 के लगवा उत्तर–पश्चिमी ओर ख.न. 342 समेलिया से सरवाड़ पक्का रोड स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी ख.न. 387 में आने–जाने ख.न. 342 समेलिया से सरवाड पक्के रोड से सरकारी भूमि खसरा नम्बर 343 से होता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 386 की पश्चिमी व दक्षिणी मेड से होकर है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जबरन बंद कर दिया है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते का राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 13.06.2024 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 387 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 386 की पश्चिमी–दक्षिणी मेड पर होकर 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रदान किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

भूअभिलेख निरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट बाबत दिनांक 26.12.2022 को नोटिस जारी किए गए व उक्त नोटिस पर अपीलांट के अंगूठा निशानी भी उपलब्ध है अर्थात मौका रिपोर्ट बाबत जारी किए गए नोटिस विधिवत रूप से तामील है।

तत्पश्चात पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.01.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 387 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने का व प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने का उल्लेख है। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 387 में सुलभ आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 343, 394 व 386 से रास्ता लघुत्तम बताया गया जो कि नजरी नक्शे में लाल स्याही से **एबीसीडी** तक उपयुक्त रास्ता दर्शाया गया।

उक्त मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में व अन्य तीन मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गई। परंतु अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने से इंकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रास्ते बाबत खसरा नम्बर 394 को भी सम्मिलित किया गया। परंतु उक्त खसरे से संबंधित पक्षकारान तत्समय प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 394 के पक्षकारों को प्रकरण में बतौर पक्षकार कायम कर उन्हें साधारण नोटिस दिनांक 15.03.2024 को जारी किए गए, परंतु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उनकी तामीली जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उनके विरूद्ध विधि सम्मत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में खसरा नम्बर 387 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 386 की दक्षिणी मेड से 60 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई एवं खसरा नम्बर 394 की पूर्वी सीमा से 24 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई एवं सिवायचक खसरा नम्बर 343 में से 16 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई कुल 400 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रकरण में रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए गए।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपूर्ण एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर व पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त पक्षकारों को विधि सम्मत नोटिस तामील करवाए जाने के उपरांत उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई व उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है तथा रास्ता सुखाधिकार के तहत उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की

आत्यांतिक आवश्यकता है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/00158 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर